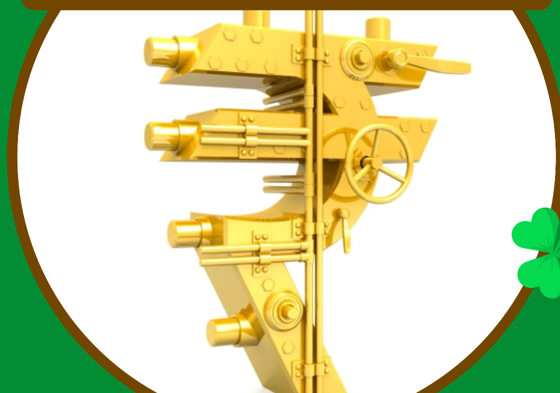
काफ़िर से सूद

अब्दे मुस्तफ़ा







SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

काफ़िर से सूद

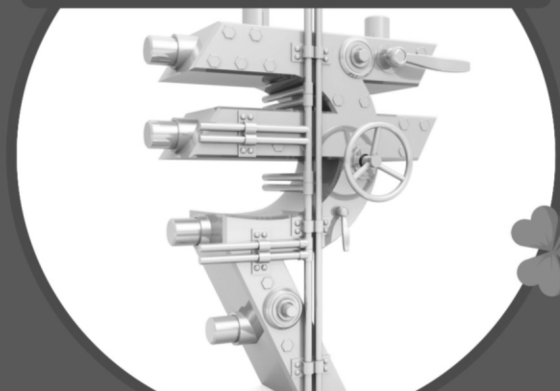


अ़ब्दे मुस्तफ़ा









SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

उन्वान : काफ़िर से सूद
अज़ क़लम : अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
ज़ुबान : हिंदी
तर्जुमा : अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल ट्रांस्लेशन डिपार्टमेंट
प्रूफ रीडिंग : मुहम्मद रियाज़ क़ादरी
मौज़ू : फ़िक़्ह, तह़क़ीक़
प्रकाशक : साबिया वर्चुअल पब्लिकेशन
कंपोज़िंग और डिजाइनिंग : प्योर सुन्नी ग्राफिक्स
सना इशाअ़त : मार्च 2022, रजब 1443 हिजरी
सफ़ह़ात : 42

Contents

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

काफिर से फ़ायदे में मिलने वाली रक़म सूद है या नहीं? इसे लेना मुसलमान को जाइज़ है या नहीं?
इस पर उलमा -ए- अहले सुन्नत की जो तहक़ीक़ है वो पेश की जाती है :

अल्लामा मुफ़्ती अलहाज मुहम्मद सालेह क़ादरी नूरी दामत बरकातुहुमुल आलिया से सवाल किया गया कि ज़ैद ये बात बर सरे मिम्बर ऐलान के साथ कहता है कि काफ़िर से फ़ायदा लेना जाइज़ है रूपया दे कर,

अवाम इस से ये समझती है कि इस्लाम में काफ़िर से सूद जाइज़ है जिस से अवाम में ये एक कारोबार होता जा रहा है कि मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, काफ़िर को रूपया दिया जाये और मुनाफ़ा लिया जाये क्योंकि अवाम तो सूद ही समझेगी, मुनाफ़ा नहीं समझेगी क्योंकि ज़ैद आम महफ़िल में ये बर सरे मिम्बर कहता है, ज़ैद का ये फ़ैल अज़ रू-ए-शरअ दुरुस्त है या नहीं?

आप जवाब में लिखते हैं कि ज़ैद साहिब का ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है, ज़रूर क़ाबिले मज़म्मत है कि ये खैर ख्वाही नहीं बल्कि क़ौम की बद ख़्वाही है।

हर जाइज़ व मुबाह काम की, हर जगह अलल इतलाक़ तबलीग ठीक नहीं होती है और मालूम हो कि सूद मुत्लक़न हरामे क़तई है ना मुस्लिम से लेना हलाल है और ना ग़ैरे मुस्लिम से ख़्वाह वो ज़िम्मी व मुस्तमिन हो (मुस्तमिन यानी ऐसा काफ़िर जिसे बादशाहे इस्लाम ने अमान दी हो) या ग़ैर ज़िम्मी (हरबी), हाँ बाज़ उक़ूदे फ़ासिदा के ज़रिये यहॉ के ग़ैर मुस्लिम से उसकी रज़ामंदी से नफ़ा उठाना मुबाह है क्योंकि आज कल यहाँ के गैर मुस्लिम ज़ाहिर है कि ज़िम्मी नहीं क्योंकि इस्लामी हुकूमत नहीं है चुनाँचे एक सवाल के जवाब में **सरकार आला हज़रत रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं :**

सूद मुत्लक़न हराम है, हाँ जो माल ग़ैर मुस्लिम से कि (वो) ना ज़िम्मी हो ना मुस्तमिन (तो अगर वो माल) बग़ैर अपनी तरफ से किसी उज़्र और बद अहदी के मिले अगर्चे उक़ूदे फ़ासिदा के नाम से, उसे इसी निय्य्यत से (ना कि सूद की निय्य्यत से) लेना जाइज़ है।

आगे फ़रमाते हैं : फिर भी जिस तरह बुरे काम से बचना ज़रूरी है, बुरे नाम (यानी बदनामी वाले काम) से बचना भी मुनासिब है।

(فتاوی رضویہ، ج7، ص92)

तो मालूम हुआ कि इस फ़ायदे को सूद समझकर, सूद कह कर, सूद मान कर, सूद की निय्यत से लेना यक़ीनन हराम हराम हराम और निय्यत को सहीह करने की बे इल्मी कम फ़हमी वाले आवाम से तवक़्क़ो नहीं। (منتخب فتوے، ص47)

बहरुल उलूम, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल किया गया कि हिंदुस्तान में क्या काफ़िर से सूद लेना जाइज़ है? अगर जाइज़ है तो क्या इन रुपयों को दीनी मसरफ़ मस्लन तामीरे मस्जिद, मदरसा या कफ़न वग़ैरह में लगाया जा सकता है, अगर नहीं तो क्यों?

आप जवाब में लिखते हैं कि हिंदुस्तान के ग़ैर मुस्लिम अगर अपनी मर्ज़ी से कोई रक़म मुसलमानों को दें और उस के लेने में उज़र या इज्ज़त को खतरा ना हो तो इसका लेना जाइज़ है, इसको जिस मसरफ़ में खर्च करेंगे जाइज़ होगा।

(فتاوی بحر العلوم، ج3، ص45)

एक और सवाल (अगर कोई मुसलमान बैंक या डाक खाने, पोस्ट ऑफिस में अपनी रक़म कसीर या क़लील जमा कर ले और सूद ले जैसा कि बैंक व पोस्ट में क़ानून है तो इसके लिये क्या हुक्म है?) के जवाब में लिखते है कि :

बैंक से रुपया जमा करने के बाद जो ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बाज़ उलमा के नज़दीक वो सूद ही नहीं तो लेने वाला अगर इस निय्यत से लेता है तो उस पर कोई इल्ज़ाम कैसे लगा सकते हैं, हाँ अगर सूद समझ कर लेता है तो ज़रूर हराम कार है

(فتاوی بحر العلوم، ج4، ص59)

मुफ़्ती -ए- आज़म राजस्थान, अल्लामा मुफ़्ती अशफ़ाक हुसैन नईमी रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल किया गया कि ग़ैर मज़हब यानी काफ़िरों से सूद लेना कैसा है, जाइज़ है या नहीं? और हुकूमत से सूद लेना कैसा है यानी गवर्मेन्ट से रक़म का सूद लेना जाइज़ है या नहीं?

आप जवाब में लिखते हैं कि सूद लेना हराम है, इस पर क़ुरआने मजीद शाहिद है, काफ़िर से भी सूद नहीं ले सकते और ना उन को दे सकते हैं।

फ़ुक़हा -ए- किराम ने सिर्फ़ काफ़िरे हरबी के लिये कहा है (कि जाइज़ है) और वो भी ब निय्यते सूद नहीं। **हिदाया में है :**

لا ربوا بين المسلم والحربى
(ہدایہ، ج3، ص86)

काफ़िरे हरबी और मुसलमान के दरमियान सूद नहीं, काफ़िरे हरबी जो कुछ अस्ल माल से ज़ाइद दे तो उस का लेना जाइज़ है और इसको सूद नहीं कह सकते और ना समझना चाहिये, गवर्मेन्ट से भी जो कुछ अस्ल रक़म से ज़ाइद रक़म मिले उसको ले लिया जाये। मगर एहतियात का तक़ाज़ा ये है (वो माल जो मिले उसे) अपने सर्फ में ना लाये बल्कि ग़रीबों पर तक़सीम कर दे।

(فتاوی مفتی اعظم راجستھان، ص371)

मुफ़्ती -ए- आज़मे राजस्थान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अश्फाक़ हुसैन नईमी रहीमहुल्लाहु त'आला एक और सवाल के जवाब में लिखते हैं कि :

जमा शुदा रक़म (पोस्ट ऑफिस या बैंक) पर जो मुनाफ़ा देते हैं उसके लिये जमहूर उलमा का मुत्तफिक़ा फैसला है जो कुछ डाक खाने या बैंक से असल रक़म से ज़ाइद मिले उसको ज़रूर वसूल किया जाये और एक पैसा भी ना छोड़ा जाये, बर बिनाये

एहतियात मुनाफ़ा (जिस को सूद से ताबीर करते हैं अगर्चे ये सूद नहीं क्योंकि सूद की तारीफ़ इस पर सादिक़ नहीं आती) का पैसा गरीबो को दे दिया जाये, मगर बैंक वग़ैरह से हर हाल में वसूल किया जाये। वल्लाहु आलम। (فتاوی مفتی اعظم راجستھان، ص402)

फ़तावा बरेली शरीफ़ में है कि सूद हरामे क़तई है, मुस्लिम ख्वाह काफ़िर किसी से सूद का मामला जाइज़ नहीं मगर सूद के तहक़्क़ुक़ के लिये शराइत हैं, जब वो पाये जायेंगे तो सूद मुतहक़्क़क़ होगा वरना नहीं, जैसे माले मासूम दोनों तरफ होना चाहिये लिहाज़ा अगर एक तरफ़ माले मासूम हो और दूसरी तरफ़ माले ग़ैर मासूम तो सूद ना होगा,

"रद्दुल मुहतार" में है :

الشرنبلالية و من شرائط الربا عصمة البدلين و
كونهما مضمونين بالا تلاف فعصمة احدهما و عدم
تقومه لا يمنع فشراء الاسير او التاجر مال الحربي
والمسلم الذی لم یهاجر بجنسه متفاضلا جائز

और ये शर्त फुक़हा के नज़दीक मुत्तफिक़ अलैह है इसी लिये अल्लामा शामी ने इसे बे ज़िक्रे खिलाफ़ ज़िक्र किया और फत्हुल क़दीर से इसका खिलाफ़ मफहूम नहीं होता फिर ये शर्त नस्स

لا ربا بین المسلم والحربی
में जिस तरह इल्लत का फाइदा देती है इसी तरह इसके सरीह मफहूम के मुताबिक़ है कि "ला" नफ़ी -ए- जिन्स के लिये है जिसका साफ मतलब ये है कि मुस्लिम और हरबी के दरमियान ज़्यादती का लेन देन सूद नहीं।

हाँ मुसलमान को ज़्यादती मिले तो ये जाइज़ है और मुसलमान को ज़्यादती देना और हरबी का मुसलमान से ज़्यादती लेना दोनों अगरचे सूद नहीं लेकिन मुसलमानों को जाइज़ नहीं कि बिला ज़रूरत और सच्ची मजबूरी व हाजते सहीह शरई के बग़ैर हरबी को ज़्यादा देकर नफ़ा पहुँचाये।

अल्लाह त'आला इरशाद फ़रमाता है :

اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ

यही मफाद फ़त्हुल क़दीर और सीरे कबीर की इबारत और मिसाल मज़कूरा इबारत शामी का है इन इबारतो में ये नहीं है कि हरबी को ज़्यादती देना रहा है अल्बता इस सूरत में जबकि मुसलमान से ज्यादती हरबी को मिले इन इबारतो में हालत रिबा व किमार की तशरीह की है। इस सुरत में इन से ज्यादा रिबा व किमर हलाल है और ये ज़ाहिर है की इस सुरत में असलन रिबा व क़िमार नहीं बल्कि माल तैय्यब व हलाल है और अक़ीदा

जाइज़ और सहीह है तो क़तअन यहाँ रिबा व किमार महज़ नाम को बोला है और हक़ीक़तन रिबा की नफी फरमाइ है और जब हरबी को मुसलमान से ज़्यादती मिले तो इस सुरत में रिबा का लफ्ज़ इन इबारतो में नही है हाँ इसे नाजाइज़ फरमाया है और नाजाइज़ होना सुरत रिबा में कुछ मुनहसिर नहीं, हरबी को नफ़ा पहुँचाना हराम है अगर्चे सूद मुतहक़्क़िक़ ना हो। बिलफ़र्ज़ यहाँ बसूरते दीग़र लफ्ज़ रिबा बोला जाना ज़रूर सूरते रिबा और नामे रिबा पर महमूल होता इसलिये कि शर्ते रिबा सब के नज़्दीक मफ़क़ूद और ला नफ़ी -ए- जिन्स का सरीह मफ़ाद जानिबैन में अदम तहक़ीके रिबा से जैसा की गुज़र चुका है।

और ये मतलब ठहराना कि काफ़िर को ज़्यादती दी जाये तो सूद ये मफहूम सरीह नस के खिलाफ और इस में वो क़ैद लगाई है जिसका लफ्ज़ मुहतमल नहीं लिहाज़ा ये क़ैद जब तक रिवायत में साबित ना हो हमें मजाल नही कि साबित करें।

हाँ बनामे रिबा की हिल्लत की ज़रूरत इस सूरत के साथ खास है जबकि मुसलमान को ज़्यादती मिले वरना हलाल नही फ़त्हुल क़दीर में इसे एहाम को दफ़आ फ़रमाया और इस जानिब मुतनब्बे फरमाया।

इस मुख्तसर तक़रीर के बाद जवाब सुरत मसऊला ज़ाहिर और वो ये कि शरई ज़रूरियात या हाजत ख़्वाह दीनी हो या सख़्शी (दुन्यावी) अगर मुत्तहक़्क़िक़ हो तो बैंक वग़ैरह या इन्फिरादी तौर पर किसी काफ़िर से ऐसा क़र्ज़ लेना जाइज़ है।

अशाबाह में है :

الضرورات تبيح المحظورات

और इरशादे बारी त'आला है :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ ط

और जो ज़्यादती उन्हें देनी पड़े वो सूद नहीं और ज़रूरते शरई और हाजते सहीह जिस में हरजे शदीद लाहिक़ हो या इस के बग़ैर चारा ना हो मालुम व महसूस है महज़ कारोबार बढ़ाना कोई शरई ज़रूरत है ना हाजत है, यूँ ही बहुत सी ग़ैर शरई ज़रूरतें और ग़ैर शरई उमूर नाक़ाबिले ऐतबार है और दफ़ए ज़िल्लत व तान और सुरखुरुइ चाहना कोई शरई हाजत नहीं।

हदीस शरीफ में है :

فضوح الدنيا اهون من فضوح الآخرة

(दुनिया की रुस्वाई आख़िरत की रुस्वाई से हल्की है)

ऐसी नाम की ज़रूरतों में जिन के बग़ैर चारा ना हो उन से क़र्ज़ लेना और ज़्यादा देना हराम है क्योंकि ये हरबी काफ़िर को फाइदा पहुँचाना है जो कि शरअन ममनू'अ है। (فتاوی بریلی شریف، ص32)

फ़तावा बरेली शरीफ़ में ही (काफ़िर को ज़्यादती देने के हवाले से) है कि : ज़्यादती बवज्हे अदमे तहक़ीक़ शर्ते रिबा सूद नहीं है लेकिन बे हाजते सहीह ज़्यादा देना हराम और हाजत के वक़्त इजाज़त।

और हराम होने की वजह पहले बयान हो चुकी है और सूद ना होने की वजह दारुल हरब नहीं कि अहकामे शरई "दार दून दार" किसी खास जगह के साथ खास नहीं है बल्कि ये हुक्म इस हदीसे पाक के सबब है।

لا ربا بين المسلم و الحربي

और मुसलमान का माल माले मासूम होना अपने इतलाक़ पर नहीं। मुस्लिमे हरबी (जो दारुल हरबी में मुक़ीम हो और दारुल इस्लाम की तरफ़ हिजरत करके ना आये) का माल मुस्लिम के लिये मुबाह है लिहाज़ा एक मुस्लिम को हरबी मुस्लिम से जो ज़्यादती मिले हलाल है। जिस की तसरीह ऊपर गुज़री।

खुलासा ये है कि जो हुक्म रिबा की बयान की गई है वो हरबी और मुस्लिम के दरमियान किसी खास जगह के साथ खास नहीं है।

हर मुसलमान का माल महज़ इस्लाम लाने से मासूम नहीं हो जाता, दारुल हरब में अगर कोई इस्लाम लाये तो उस का माल मासूम ना होगा। इस मज़मून का फाइदा देने वाली इबारात उपर गुज़र चुकी, हाँ जो दारुल इस्लाम में इस्लाम लाया और वहीं रहा उस का माल ज़रूर मासूम है। और मुस्लिम हर्बी के माल का मासूम ना होना महज़ इस सूरत से खास नहीं कि वो दारुल हरब में है बल्कि बिल फ़र्ज़ अगर वो दारुल इस्लाम अपने किसी काम की वजह से हो और दारुल हरब से हिजरत करके मुस्तक़िल वहाँ ना रहता हो बल्कि दारुल हरब में जाने का क़स्द रखता हो इस सूरत में भी उस का माल माले मासूम नहीं उस में क़रीना वाज़िहा इबाराते गुज़िश्ता में ये है कि फ़रमाया :

المسلم الحربی الذی لم یهاجر

मालूम हुआ की मिन हैशुल हरबी के माल का हुक्म का अदमे इस्मत है "दार दून दार" के साथ खास नहीं और मुस्लिम हरबी अगर काफिर से लेन देन करे तो दोनों जानिब इस्मत नहीं लिहाज़ा

शर्तें रिबा मुतहक़्क़िक़ नहीं तो रिबा भी नहीं अल्बता ज़्यादती लेना मुबाह और देना हराम जैसा कि गुज़र चुका। (واللہ تعالیٰ اعلم)

(فتاویٰ بریلی شریف، ص33)

हरबी काफ़िर से ये मुआमला करना सहीह है और मुस्लिम से सहीह नहीं अगरचे वो मुस्लिम दारुल हरब में हो, शुब्हा और तोहमत से परहेज़ लाज़िम है और तहफ़्फ़ुज़ अनिल ज़िल्लत ज़रूरते शरईय्या नहीं जैसा कि गुज़र चुका। हिफ़्ज़ नफ्स और तहसीले मुआश और वो सूरतें जिन में मुज़रत व हर्ज शदीद हो ज़रूरत व हाजत में दाखिल हैं। (واللہ تعالیٰ اعلم)

(فتاویٰ بریلی ص34)

हरबी से बनामे रिबा व बनामे अक़्दे फ़ासिद जो कुछ बिला उज़्र व बद-अहदी मिले मुस्लिम को मुबाह है।

لأن ما لهم مباح فبای طریق اخذه المسلم اخذ ما لا
مباحا اذا لم یکن فیه غدر کذا فی الهدایة

दुर्रे मुख्तार" मैं है :

و لو بعقد فاسد او قمار ثمه

और ज़्यादा देना हराम मगर उस पर सूद का इतलाक़ नहीं।

لا نعدام شرطه کما مر غیر مرة

और मुस्लिम का माल मासूम होना हरगिज़ मुतरद नहीं कि मुस्लिम हरबी का माल मासूम नहीं। तो इस सूरत में दोबों तरफ इस्मत मफक़ूद तो ग़ैर मौजूद और जहाँ इस का माल मासूम हो इस सूरत में भी काफिर हरबी से ये मुआमला सूद ना होगा कि इस्मत बदलैन तहक़ीक़ रिबा कि शर्त है ना कि इस्मत अहदुल बदलैन और मुआमले का जवाज़ व अदमे जवाज़ उस तफ़्सील पर है जो गुज़री। (واللہ تعالیٰ اعلم)

(فتاویٰ بریلی ص34)

नेपाल में सूद लेने देने के बारे में सवाल किया गया कि क्या ये नेपाल में जाइज़ है ? कहा जाता है कि नेपाल दारुल हरब है इस लिये वहाँ सूद लेना जाइज़ है, क्या ये सही है?

अल -जवाब : पहली बात ये जान लें कि मुसलमानों का मुसलमान से या ज़िम्मी काफ़िरों से सूद लेना देना हरामे क़तई है जैसा कि अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया :

"واحل الله البيع و حرم الرباء"

दारुल हरब में सिर्फ हरबी से सूद लेना जाइज है। जैसा कि अल हिंदिया में है :

لا رباء بین المسلم و الحربی فی دار الحرب
(واللہ تعالیٰ اعلم)

(فتاویٰ بریلی ص204)

बहरुल उलूम, हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अब्दुल मन्नान आज़मी रहीमहुल्लाहु त'आला से सवाल किया गया कि बैंक में रक़म जमा कर के छोड़ देने के 6 साल के बाद दुगनी मिलती है तो उस पर क्या शरई हुक्म है?

आप लिखते हैं कि बहुत से उलमा ग़ालिबन यही जवाब देंगे की वो इज़ाफ़ी रक़म सूद नहीं है लिहाज़ा सूद समझ कर लेना जाइज नहीं बल्कि माले मुबाह समझ कर लेना चाहिये और मै ये फ़तवा देता हूँ कि इसे वुसुल करके मुसलमान मोहताज़ो को दे दे, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब बल्कि बाप और लड़की मुहताज़ हो तो उन को भी दे सकते है।

(فتاویٰ بحر العلوم، ج6، ص391)

फ़तावा अजमलिया में एक सवाल यूँ है कि किसी मुसलमान या मस्जिद का रुपया बैंक या डाक खाने में रखा जाये तो उस पर मिलने वाले सूद को क्या करें ?

क्या उसे लेना चाहिये या नहीं? और अगर छोड़ देते हैं तो गैरो के पास जाता है, तो क्या करें ?

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अजमल क़ादरी रहीमहुल्लाहु त'आला लिखते हैं कि अगर किसी मुसलमान ने अपना रुपया बैंक में जमा किया या मस्जिद का रुपया बैंक या डाक घर में जमा किया गया तो जमा शुदा रुपया के अलावा बैंक या डाक खाना से जो ज़ाइद रुपया मिलता है वो नाजाइज व हराम नहीं, उस को वुसूल कर लिया जाये और अगर खुद खर्च ना करना चाहे तो फ़क़ीर और गुरबा को दे दे। (واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

(فتاویٰ اجملیہ ج4، ص31)

हज़रत अल्लामा मुफ़्ती ज़ुल्फिक़ार खान नईमी से काफ़िरों के फायदे उठाने के मुतालिक़ सवाल किया गया जिस के जवाब में आप लिखते हैं :

हरबी से उस की मर्ज़ी के बग़ैर धोका व खयानत के जो माल भी मुसलमान को हासिल हो अगर्चे अक्दे फ़ासिद के ज़रिये ही वो मुसलमान के लिये जाइज व हलाल है।

इमाम कासानी की किताब बदाइ उस सनाई में है :

ان مال الحربی لیس بمعصوم بل هو مباح فی نفسه

हरबी काफ़िर का माल मासूम नहीं है बल्कि वो फी नफ़्सिही जाइज़ है।

दुर्रे मुख्तार में है :

لان ماله ثمة مباح فیحل برضاه مطلقا بلا غدر.

बिनाया शरह हिदाया में है :

و لأن مالهم ای مال اهل الحرب مباح فی دارهم لانه غیر معصوم بل هو علی اصل الاباحة فبای طریق اخذه المسلم اخذ ما لا مباحا اذلم یکن فیه ای فی اخذه غدر لان الغدر حرام

आला हज़रत फ़रमाते हैं :

فلا یحرم علینا معهم الاالغدر فاذا جاوزته و اخذت منهم مااخذت باسم ای عقداردت فقد اخذت مالا مباحا لاتبعه علیک فیه

हम पर उन के साथ सिवाए धोका बाज़ी के कुछ हराम नहीं और जब तू धोका बाज़ी से बचते हुये उन का माल जिस अक़्द के नाम से चाहे ले तो तू ने उन से माले मुबाह हासिल किया इस पर तुझ से कोई मुवाखिज़ा नहीं। दूसरे मक़ाम पर फरमाते हैं : जो काफिर मुती -ए- इस्लाम ना हो ना सल्तनते इस्लामिया में

मुस्तामिन हो बिला उज़्र व बदअहदी उस से कोई नफ़ा हासिल करना ममनूअ नहीं। (واللہ تعالیٰ اعلم)

(فتاویٰ اترا کھنڈ ص253)

बहारे शरीअत में है कि मुस्लिम और काफ़िर हरबी के माबैन दारुल हरब में जो अक़्द हुआ उस में सूद नहीं। मुसलमान अगर दारुल हरब में अमान ले कर गया तो काफ़िर की खुशी से जिस क़दर उन के अम्वाल हासिल करे जाइज़ है अगरचे ऐसे तरीक़े से हासिल किये कि मुसलमान का माल इस तरह लेना जाइज़ ना हो मगर ये ज़रूर है कि वो किसी बद अहदी के ज़रिये हासिल ना किया गया हो कि बद अहदी कुफ़्फ़ार के साथ भी हराम है।

मस्लन किसी काफ़िर ने उस के पास कोई चीज अमानत रखी और ये देना नहीं चाहता ये बद अहदी है और दुरुस्त नही

(بہار شریعت ج2، ص775)

ताजुश्शरिया, हज़रत अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रज़ा खान रहमतुल्लाह त'आला अलैह से बैंक और डाक खाने से मिलने वाली इज़ाफ़ी रक़्म के बारे में पूछा गया तो आप ने फ़रमाया कि बैंक व डाक खाने का मुनाफ़ा सूद नहीं खालिस मुबाह है तफ़्सील के लिये रिसाला -ए- बैंक देखें।

(فتاویٰ تاج الشریعہ، ج2، ص165)

आप रहीमहुल्लाहु त'आला एक सवाल के जवाब में लिखते हैं कि काफ़िर को पैसे देना हराम है (यानी उसे बे ज़रूरत फाइदा पहुँचाना) के काफ़िर के साथ बे ज़रूरते शरई दाईये हुस्ने सुलूक मम्नूअ है।

अल्लाह त'आला का इरशाद है :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْۤا اٰبَآءَكُمْ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْاِيْمَانِؕ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

(سورۂ توبہ، آیت23)

ऐ ईमान वालों! अपने बाप और अपने भाइयों को दोस्त ना समझो अगर वो ईमान के मुक़ाबले में काफ़िर को पसंद करें और तुम में जो कोई उनसे दोस्ती करेगा तो वही ज़ालिम हैं।

(فتاویٰ تاج الشریعہ ج2، ص206)

मुफ़्ती शहरोज़ आलम अकरमी से काफ़िर से सूद लेने के बारे में सवाल किया गया जिस के जवाब में आप लिखते हैं कि काफ़िर से ब्याज यानी सूद लेना कभी भी जाइज़ नहीं इस की हुरमत किताबुल्लाह से साबित है।

"احل اللہ البیع و حرم الربوا"

यानी हलाल किया अल्लाह ने बय को और हराम किया सूद अल्बत्ता काफ़िर से इज़ाफ़ी रक़म सूद नहीं होता है। काफ़िर की तीन किस्में हैं : ज़िम्मी, मुस्तमिन, हरबी। हिंदुस्तान के काफ़िर हरबी हैं और मुस्लिम और काफ़िर हरबी के माबैन सूद नहीं

"لا ربا بین المسلم و الحربی"

इसे ले कर अपने हर काम में सर्फ करना जाइज़ है।

(فتاوی فیض الرسول، دوم، ص385)

हिदायत : काफ़िरों से भी इज़ाफ़ी रक़म ना लेनी चाहिये कि इस्लाम की बदनामी और वक़ार मजरूह होगी। (فتاوی امجدیہ)

(فتاویٰ اکرمی، ص366)

मुफ़्ती मुहम्मद कहफुल वरा मिस्बाही इस मसअले पर लिखते हैं कि हिंदुस्तान के कुफ़्फ़ार हरबी हैं और मुसलमान को हरबी का जो माल इस की मर्ज़ी से मिले वो मुबाह और हलाल है लिहाज़ा उन के बैंकों से जो इंटरेस्ट मिलता है वो हलाल है जिस को मिले वो उस का मालिक है वो जिस नेक काम में चाहे उस को इस्तिमाल कर सकता है। अपने मसरफ में भी ला सकता है और मस्जिद में भी लगा सकता है।

हिदाया में है:

"لا ربٰ بين المسلم و الحربى فباى طريق أخذه
المسلم اخذ ما لا مباحا اذا لم يكن فيه غدر (ج3،
ص70، باب الربى من كتاب البيوع)

(فتاویٰ رضادارالیتامی، ص348)

वक़ारे मिल्लत, हज़रत अल्लामा मुफ़्ती वकारूद्दीन क़ादरी रहीमहुल्लाहु त'आला इस मसअले पर लिखते हैं कि ऐसे मुमालिक में जहाँ कभी मुसलमानों की हुकुमत क़ाइम नहीं हुई और काफ़िरों की हुकुमत है वहाँ की बैंक जो रकम सूद के नाम से देती है वो सूद नहीं है बल्कि काफ़िर का माल है जो सूद के नाम पर वो देते हैं वो हक़ीक़तन सूद ही नहीं। मुसलमान इस को सूद समझ कर नहीं लेगा बल्कि ये समझ कर लेगा कि काफ़िर दे रहा है और मै ले रहा हूँ।

रिबा की बहस में साहिबे हिदाया ने हदीस नक़्ल फ़रमायी है :

لا ربوٰ بين المسلم و الحربى فى دار الحرب

(वो मुल्क जहाँ गैर मुस्लिमों की हुकूमत हो और मुसलमानों को मज़हबी फराइज़ की बजा आवरी से रोका जाये) में मुसलमान और काफ़िर के दरमियान सूद सूद नहीं होता।

फ़िक़्ह की जुमला कुतुब में इस की सराहत मौजूद है। साहिबे हिदाया ने इस हदीस के ज़िमन में लिखा है :

و لان مالهم مباح فِيْ دارهم فباى طريق اخذه المسلم اخذ مالامباحاً.

यानी इसलिये कि उन के मुल्क में उन (काफ़िरों) का माल मुबाह है जिस तरह भी मुसलमान ने उस माल को हासिल किया उसने माले मुबाह हासिल किया। वहाँ के क़वानीन पर अमल करेंगे और ज़्यादा रक़म जो उनसे मिलेगी वो लेना जाइज़ है मगर उन से क़र्ज़ ले कर उन को ज़्यादा देना जाइज नहीं। लिहाज़ा मुसलमान किसी काफ़िर से माल ले तो सकता है ख़्वाह वो किसी नाम से दे मगर अपना माल उन को सूद के तौर पर दे नहीं सकता।

(وقارالفتاوىٰ،ج1،ص223)

एक और सवाल के जवाब में लिखते हैं:

नेपाल में गैर मुस्लिम हुकूमत है और गैर मुस्लिम से मुसलमान को जो ज़्यादा रक़म सूद के नाम पर बैंक से मिलती है वो सूद नहीं है बल्कि काफ़िर का माल है वो सूद कह कर मुसलमान को दे रहा है मगर वो हक़ीक़तन सूद नहीं है, उनके सूद कहने से सूद नहीं होगा। (وقارالفتاوىٰ،ج1،ص224)

एक और मक़ाम पर आप से सवाल किया गया कि दारुल हरब के कुफ़्फ़ार को सूद देना दुरुस्त है या नहीं?

आप लिखते हैं कि दारुल हरब में ग़ैर मुस्लिमों से सूद लेना जाइज़ है अलबत्ता देना जाइज़ नहीं। फ़िक़्ह की मशहूर व मुतादावल किताब में शैखुल इस्लाम मरग़िनानी ने हदीस शरीफ़ नक़्ल की है :

لا ربوٰ بین المسلم والحربی فی دارالحرب

दारुल हरब में मुसलमान और हरबी के दरमियान सूद, सूद नहीं होता।

इस हदीस की सनद पर अहले इल्म ने कलाम किया है इसीलिये इस की तक़वियत और हुक्म साबित करने के लिये जो इल्लत तलाश की गयी वो ये कि दारुल हरब में काफ़िर का माल और जान दोनों मामून नहीं हैं। हर हरबी मुबाहुद्दम और मुबाहुल माल है लिहाज़ा काफ़िर का माल जब ले ले और गदर और धोखे बाज़ी ना की हो तो उस के लिये माले मुबाह है अगर्चे कुफ़्फ़ार ने उस का नाम "सूद" रख दिया हो। लिहाज़ा इस इल्लत से ये पता चलता है कि काफ़िर हरबी से सूद लेना तो जाइज़ है मगर देना जाइज़ नहीं इसलिये की मुसलमान का माल तो महफ़ूज़ व मामून

है, इसीलिये साहिबे हिदाया ने सिर्फ़ लेने की बात की है, वो लिखते हैं कि

لان مالهم مباح فی دارهم فبای طریق اخذه المسلم اخذ مالاً مباحاً انا لم یکن فیه غدراً

इसलिये कि काफ़िरों का माल उन के मुल्क में मुबाह व हलाल है जिस तऱीके से भी मुसलमान ने उस माल को हासिल किया माल मुबाह व हलाल ही हासिल किया जब कि उस में धोखा धड़ी ना हो।

साहिबे फ़त्हुल क़दीर ने भी जो मिसालें बयान की वो सिर्फ मुसलमान की माल लेने की हैं, देने की कोई मिसाल बयान नहीं की, उन का मौकिफ़ व मस्लक भी यही है :

و كذا اذا باع منهم ميتةً او خنزيراً او فامرهم و اخذ المال يحل كل فلك عند ابى حنيفه و محمد رحمهما الله

और इसी तरह जब काफ़िरों के हाथ मुरदार या खिंज़ीर बेचा या जुआ खेला और माल (क़ीमत) ले लिया तो तरफैन (इमामे आज़म और इमामे मुहम्मद) के नज़दीक ये सब हलाल है।

और इनाया में ये इल्लत बयान फ़रमायी :

ولأن مال اهل الحرب فى دارهم مباح بالاباحةالاصلية

क्योंकि अहले हरब का माल उन की मिल्कियत में इबाहते असलिया के साथ मुबाह व हलाल है।

साहिबे दुर्रे मुख़्तार ने भी इल्लत वही क़रार दी और सिर्फ लेने की बात की है :

لان ماله ثمة مباح فيحل برضاه مطلقاً بلا غدر.

क्योंकि काफ़िर का माल वहाँ (दारुल हरब में) मुबाह है तो इस की रज़ामंदी से मुत्लक़न हलाल है जबकि कोई धोका ना किया हो।

लिहाज़ा तमाम फ़िक़्ही किताबो से यही मालूम होता है कि हरबी काफ़िर का माल मुबाहुल अस्ल होने की वजह से इस तरह लेना जाइज़ है कि धोकादही, वादा खिलाफ़ी और जबरन ना हो। देने के मुतल्लिक़ किसी इमाम या फ़क़ीह ने नहीं लिखा। हमारे नज़दीक भी काफ़िर हरबी से मुसलमान सूद ले तो सकता है दे नहीं सकता।

(وقار الفتاوی، ج1، ص245)

A Fatwa Of Huzoor Tajushshariah in English

Question 1: Is interest totally unlawful? On which condition is the profit considered as interest?

Question 2: May a Muslim take the profit on his deposited money in the banks and the post which they term as "interest" in countries such as India, Britain and South Africa, etc.

Answer:

Undoubtedly, Riba (interest) is totally unlawful according to Islamic Shari'ah. When there is a dealing between a Muslim and a Muslim or a Muslim and a Zimmi Kaffir (a non-Muslim living in the safety of an Islamic state), the taking of the excess money is considered as interest and such a dealing will be unlawful. However, if this condition does not exist, this excess money will not be considered as interest and will be legitimate for a Muslim as it is unanimous that there is no interest applicable when there is dealing between a Muslim and a Harbi Kaafir (a non-Muslim who is not living in the safety of an Islamic State).

There is a Hadith from the Holy Messenger (sallal laahu alaihi wasallam) which states that:

"No Riba (interest) (exists) between a Muslim and a Harbi Kaafir in Darul Harb."

This Hadith bears testimony that the property of a Harbi Kaafir is lawful for the Muslim at all times provided that he (the Muslim) must not commit faithlessness in his dealing. Accordingly, the great theologian, his holiness Shah Burhanuddin (alaihir rahma) states in his distinguished work, "Hedaya", that:

"Though the Holy Quran has forbidden Riba, i.e. interest, yet this Holy Book of Allah makes the property of a Harbi Kaafir lawful for the Muslim."

The Quran states:

Likewise, there are so many verses giving evidence that the Shari'ah does not take a Harbi Kaafir in trust and so their property is permissible for the Muslim. Whoever, therefore, forbids the Muslim to receive such profits, deprives them of the benefit and causes the Harbi Kaafirs to take advantage, which is Haraam.

The Quran declares:

انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين

(2) The excess money given by the banks and the post offices in the countries as mentioned, is legally for the Muslims, and is not (considered) as interest. It may be taken and used.Allah knows better!

Footnote: In the famous authentic book of Hanafi Islamic Jurisprudence, "Hedaya", translated by Charles Hamilton, in Chapter 9 (Book of Sale), pg. 293, the Scholar, Allama Shah Burhanuddin (alahir rahmah) states: Usury cannot take place between a Mussulman and a hostile infidel in a hostile country. This is contrary to the opinion of

(Imam) Aboo Yoosuf and (Imam) Shafei, who conceive an analogy between the case in question and that of a protected alien within the Mussulman territory. The arguments of our four doctors upon this point are twofold. FIRST, the Prophet has said, "There is no usury between a MUSSULMAN and a hostile infidel, in a foreign land."- SECONDLY, the property of a hostile infidel being free to the MUSSULMANS, it follows that it is lawful to take it by whatever mode may be possible, provided there be no deceit used.

The additional amount that is given by the Bank is termed as "Interest." But, the Islamic concept of

"Riba" is not applicable to the term "Interest" that is utilised by the Bank. According to the definition of Riba and with reference to the Hadith, "Interest" is not applicable when the dealing is between a Muslim and a Harbi Kaafir in Darul Harb. Muslims should erase the thought from their minds that this is "Riba." In the light of this Ruling, to accept and utilise this amount is permissible. But if a person, out of his her own personal discretion, does not feel totally comfortable in using this money should then advance this money to any other Muslim or an organisation without making any intention of receiving Thawaab. It is important that this amount not be left abandoned in Banks. Let this money be utilised for the welfare and benefit of the Muslim Ummah. It is also noteworthy to mention that Muslims in India have requested the Ulama there to tackle the issue of "Interest" as Muslims left large amounts dormant in Banks and theBanks were in turn donating these large amounts to Christian organisations who were using this money to do missionary work, build Churches and Missionary Schools. The Ulema and Muslim Scholars researched this issue and arrived at the above solution.

(Azharul Fatawa, Pg. no.16)

Our Books In Roman Urdu :

(1-13) Bahaar -e- Tehreer (Ab Tak 13 Hisso Mein) - Abde Mustafa Official
(14) Allah Ta'ala Ko Uparwala Ya Allah Miyan Kehna Kaisa? - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(15) Azaan -e- Bilal Aur Suraj Ka Nikalna - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(16) Ishqe Majazi (Muntakhab Mazameen Ka Majmua) - Abde Mustafa Official
(17) Gaana Bajana Band Karo, Tum Musalman Ho! - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(18) Shabe Meraj Ghause Paak - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(19) Shabe Meraj Nalain Arsh Par - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(20) Hazrate Owais Qarni Ka Ek Waqiya - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(21) Dr. Tahir Aur Waqar -e- Millat - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(22) Taqreer Karne Waala Kaisa Ho? - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(23) Ghaire Sahaba Mein Radiallaho Ta'ala Anho Ka Istemal - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(24) Ikhtelaf Ikhtelaf Ikhtelaf - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi

(25) Chand Waqiyaat -e- Karbala Ka Tehqeeqi Jaayeza - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(26) Binte Hawwa - Kanize Akhtar
(27) Sex Knowledge (Islam Mein Sohbat Ke Aadab) - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(28) Hazrate Ayyoob Alaihissalam Ke Waqiye Par Tehqeeq - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(29) Aurat Ka Janaza - Janabe Ghazal Sahiba
(30) Ek Aashiq Ki Kahani Allama Ibne Jauzi Ki Zubaani - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(31) Huzoor Ki Shaan In The Quraan - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi Rahimahullahu Ta'ala
(32) Husne Mustafa Aur Kalame Raza - Maulana Sajjad Ali Faizi
(33) Afzaliyate Siddique -e- Akbar Wa Farooqe Aazam - Huzoor Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala
(34) Kya Hazrate Bilal Radiallaho Ta'ala Anho Ka Rang Kaala Tha? - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(35) Hazrate Bilal Ke Islam Laane Ka Waqiya Kya Tha? - Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(36) Sharah Mishkaat (Kitabul Iman) - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi Rahimahullahu Ta'ala
(37) Chand Ghair Motabar Kitabein –
Maulana Hasan Noori
(38) Tirmizi (Part 1) - Imam Tirmizi Rahimahullahu Ta'ala
(39) Aaiye Namaz Seekhein (Part 1) - Abde Mustafa Official

(40) Sharah Mishkaat (Kitabul Ilm) - Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi Rahimahullahu Ta'ala
(41) Sahih Bukhari Aur Ilme Ghaib - Allama Muhammad Abdul Qadir
(42) Difa -e- Kanzul Iman - Huzoor Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala
(43) Pehle Farz Nafl Baad Mein - Aala Hazrat Rahimahullahu Ta'ala
(44) Qiyamat Ke Din Logon Ko Kis Ke Naam Ke Saath Pukara Jayega - Abde Mustafa Official
(45) Yaare Ghaar By Dr. Asif Ashraf Jalali
(46) Tie Ka Mas'ala - Huzoor Tajushshariah Rahimahullahu Ta'ala
(47) Sawaneh Tajushshariah - Mufti Dr. Yunus Raza
(48) Huzoor Tajushshariah Aur Bukhari Shareef Ki Pehli Hadees Ka Dars - Maulana Muhammad Raza Markazi
(49) Huzoor Tajushshariah Ke Kalaam Mein Muhawraat Ka Istemal - Muhammad Kashif Raza Shaad Misbahi
(50) Hussamul Haramain –
Aala Hazrat Rahimahullahu Ta'ala
(51) Haque Par Kaun? By Allama Muhammad Zafar Attari
(52) Shirk Kya Hai? –
Allama Muhammad Ahmad Misbahi
(53) Qurbani Ka Bayaan From Bahaar -e- Shariat
(54) Zibah Ka Bayaan From Bahaar -e- Shariat
(55) Eisaiyat Se Islam Tak –
Allama Ghulam Rasool Qasmi

(56) Zambik Ka Maana Aur Masla -e- Durood - Allama Syed Ahmad Sayeed Kaazmi
(57) Islami Taleem (Part 1) –
Allama Mufti Jalaluddin Ahmad Amjadi
(58) Muharram Mein Kya Jaiz Aur Kya Najaiz? –
Allama Tatheer Ahmad Razvi
(59) Muharram Mein Nikah –
Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(60) Islami Zindagi –
Mufti Ahmad Yaar Khan Nayeemi Rahimahullahu Ta'ala
(61) Riwayato Ki Tehqeeq (Part 1) –
Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(62) Riwayato Ki Tehqeeq (Part 2) –
Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(63) Sharahe Kalaame Raza –
Al Hafiz Al Qaari Maulana Ghulam Hasan Qadri
(64) Imamul Ayimma Abu Bakr Siddique - Allama Ghulam Rasool Qasmi
(65) Aulia -e- Rijalul Hadees - Allama Abdul Mustafa Aazmi
(66) Tamheede Imaan - Imam -e- Ahle Sunnat, Aala Hazrat Rahimahullahu Ta'ala
(67) Sharah Qasida -e- Meraj –
Al Hafiz Al Qaari Maulana Ghulam Hasan Qadri
(68) Imam Mahdi – Zamana -e- Zuhoor Aur Alamaat –
Imam Ibne Hajar Haytmi Shafayi Rahimahullahu Ta'ala (909-973 Hijri)
(69) Break Up Ke Baad Kya Karein? –

Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(70) Ek Nikah Aisa Bhi –
Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi
(71) Ali Wa Muawiya –
Allama Ghulam Rasool Qasmi
(72) Kafir Se Sood –
Abde Mustafa, Muhammad Sabir Ismayeeli Qadri Razvi

اردو زبان میں ہماری دوسری کتابیں اور رسالے:

(1-13) بہار تحریر (اب تک 13 حصوں میں)

(14) اللہ تعالی کو اوپر والا یا اللہ میاں کہنا کیسا؟

(15) اذان بلال اور سورج کا نکلنا

(16) عشق مجازی- منتخب مضامین کا مجموعہ

(17) گانا بجانا بند کرو، تم مسلمان ہو

(18) شب معراج غوث پاک

(19) شب معراج نعلین عرش پر

(20) حضرت اویس قرنی کا ایک واقعہ

(21) ڈاکٹر طاہر اور وقار ملت

(22) مقرر کیسا ہو؟

(23) غیر صحابہ میں ترضی

(24) اختلاف اختلاف اختلاف

(25) رمضان اور قضائے عمری نماز

(26) چند واقعات کربلا کا تحقیقی جائزہ

(27) بنت حوا

(28) سیکس نالج

हिंदी ज़ुबान में हमारी दूसरी किताबें और रसाइल :

(1-13) बहारे तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(14) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(15) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना -
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(16) इश्के मजाज़ी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(17) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(18) शबे मेराज गौसे पाक –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(19) शबे मेराज नालैन अर्श पर –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(20) ह़ज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी

(21) डॉक्टर ताहिर और वक़ारे मिल्लत –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(22) ग़ैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल -
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(23) चंद वाकियाते कर्बला का तहकी़की़ जाइज़ा –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(24) बिंते हव्वा - कनीज़े अख़्तर
(25) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(26) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकी़क़ -
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(27) औरत का जनाजा़ - जनाबे ग़ज़ल साहिबा
(28) एक आशिक़ की कहानी अल्लामा इब्ने जौजी़ की ज़ुबानी - अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुह़म्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(29) 40 अहादीसे शफा'अत –
अ़ाला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह
(30) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाजा़ का बयान
बहारे शरीअत से

(31) क़ियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? -
अ़ब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल
(32) ज़न और यक़ीन –
अ़ाला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह
(33) ज़मीन साकिन है –
अ़ाला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह
(34) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही
(35) इस्लामी तअ़लीम (हिस़्सा अव्वल) –
अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी रहमतुल्लाह अलैह
(36) इस्लामी तअ़लीम (दूसरा हिस़्सा) –
अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अ़मजदी रहमतुल्लाह अलैह
(37) रिवायतों की तहक़ीक़ (पहला हिस्सा) –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(38) रिवायतों की तहक़ीक़ (दूसरा हिस्सा) –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी
(39) एक निकाह ऐसा भी –
अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी

(40) ब्रेकअप के बाद क्या करें? –

अ़ब्दे मुस्तफ़ा मुहम्मद साबिर इस्माईली क़ादिरी

(41) सफ़ीना -ए- बख़्शिश -

हुज़ूर ताजुश्शरीअ़ा, हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद अख़्तर रज़ा ख़ान क़ादरी अज़हरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह

ABOUT US

Abde Mustafa Official is a team from Ahle Sunnat Wa Jama'at working since 2014 on the Aim to propagate **Quraan and Sunnah** through electronic and print media.

We are :

Blogging, publishing pamphlets and books on various topics, running a special matrimonial service for **Sunni Muslims.**

Visit our official website :

www.abdemustafa.in

about thousands of articles & 190+ pamphlets and books are available in multiple languages.

E Nikah Matrimony

if you are searching a Sunni life partner then E Nikah is a right platform for you.

Visit www.enikah.in

OR Join our Telegram Channel

t.me/Enikah (Search "E Nikah Service" in Telegram)

Follow us on Social Media Network :

/abdemustafaofficial

for more details WhatsApp on **+919102520764**

OUR BRANDS :

SABIYA VIRTUAL PUBLICATION

Enikah E NIKAH MATRIMONY SERVICE

BOOKS ROMAN BOOKS

AMO

powered by Abde Mustafa Official